प्रेस नोट

19.08.2019

दिनांक 17.07.19 व 09.08.19 को थाना मधुबन क्षेत्रान्तर्गत हुए लूट/छिनैती मामले में संलिप्त 03 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट की 02 मोबाइलफोन व मोटरसाइकिल बरामद–

जनपद मऊ पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग आर्य के निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर क्रमशः बावला पुल व सिपाह से सम्बन्धित मु0अ0सं0 376,380/19 धारा 392 भादवि में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तगण दिव्यांशू उर्फ गोलू सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी भगत का पूरा थाना मधुबन मऊ, शत्रुघन शर्मा पुत्र सुरेश शर्मा निवासी बनकटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से लूट की रीयल मी मोबाइलफोन व मोटरसाइकिल(यूपी 44 टी 1023) व मोहित उर्फ विशाल चौहान निवासी दुबारी थाना मधुबन मऊ के कब्जे से लूट की रेडमी मोबाइलफोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। तथा अन्तर्गत धारा में 411 भादवि की बढ़ोत्तरी कर उक्त अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया।

30 लीटर अवैध कच्ची/अपमिश्रित शराब के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। अवैध कारोबार/कारोबारियों के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कानून गोवान चक तिराहा से प्रेम यादव पुत्र कमता यादव निवासी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली के कब्जे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब, थाना मधुबन पुलिस द्वारा ताल पताछ से मोतीचन्द्र पुत्र श्रीपति निवासी मेहदिया कुण्ड थाना मधुबन मऊ के कब्जे 20 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरूध्द अन्तर्गत धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत नाजायज चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नवापुर मोड़ से फिरोज पुत्र इसराफिल निवासी छोटी रहजनियां थाना कोतवाली मऊ के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 387/19 धारा 4/25 आयुध्द अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 11 व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 19.08.19 को थाना **चिरैयाकोट पुलिस** द्वारा प्रमोद चौहान, गौतम चौहान, संदीप चौहान, मुकेश राजभर निवासीगण नोनरा समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, थाना **मधुबन पुलिस** द्वारा इसराफिल निवासी ऊसरी, हीरालाल निवासी लकुरा, कन्हैया, रविन्द्र निवासीगण लिलवां धर्मपुर थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद**

MEDIA CELL MAU

पुलिस द्वारा मनोज साहनी निवासी मोइद्दीनपुर, कान्ता चौहान, दुर्गविजय यादव निवासीगण खुशामदपुर थाना मधुबन मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जनपद मऊ के सीमावर्ती जनपदो गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ से काफी संख्या में चिकित्सीय सुविधा का उपभोग करने, खरीददारी करने व अन्य कार्यो हेतु प्रतिदिन मऊ नगर क्षेत्र में आते है साथ ही साथ विद्यालयो के प्रातः काल खुलने एवं बन्द होते समय नगर क्षेत्र में वाहनो का दबाव बढ़ जाता है जिससे नगर क्षेत्र में जाम की स्थिति एवं दुर्घटना की सम्भावना बढ़ जाती है, उक्त समस्या से निपटने हेतु पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये पीक आवर्स के समय सड़को पर व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से भारी वाहनो को नगर क्षेत्र में प्रवेश न करने के सम्बन्ध में निम्न आदेश निर्गत किया जाता है—

1. गाजीपुर की तरफ से आने वाली भारी वाहनो को बढ़ुवा गोदाम पुलिस बूथ से समय प्रातः 09.00 बजे से समय 10.30 बजे तथा दोपहर 13.00 बजे से 15.00 बजे तक शहर क्षेत्र में आने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

2. दोहरीघाट की तरफ से आने वाले भारी वाहनो को सहरोज मोड़ से समय प्रातः 09.00 बजे से समय 10.30 बजे तथा दोपहर 13.00 बजे से 15.00 बजे तक शहर क्षेत्र में आने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

3. बलिया की तरफ से आने वाली भारी वाहनो को बलिया तिराहा से कोतवाली पुलिस द्वारा समय प्रातः 09.00 बजे से समय 10.30 बजे तथा दोपहर 13.00 बजे से 15.00 बजे तक सहरोज मोड़ की तरफ डायवर्ड किया जायेगा।

4. आजमगढ़ की तरफ से आने वाली भारी वाहनो जो बलिया की तरफ जाना चाहते है उनको दक्षिण टोला पुलिस द्वारा समय प्रातः 09.00 बजे से समय 10.30 बजे तथा दोपहर 13.00 बजे से 15.00 बजे तक मतलुपुर मोड़ से सहरोज मोड़ की तरफ डायवर्ड किया जायेगा, उनको किसी भी दशा में प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक शहर क्षेत्र में प्रवेश नही दिया जाये।

5. सलाहाबाद मोड़ (रेलवे क्रासिंग) से भारी वाहनो को प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक शहर क्षेत्र में प्रवेश नही दिया जाये।

6. ढ़ेकुलिया घाट मोड़ से बन्धा रोड पर से भारी वाहनो को प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक शहर क्षेत्र में प्रवेश नही दिया जाये।

7. पीक आवर्स के समय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली/सरायलखन्सी/दक्षिणटोला द्वारा सतत भ्रमण कर अपने—अपने क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करना सुनिश्चित करे व प्रभारी यातायात मऊ सतत भ्रमण कर यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करना सुनिश्चित करेंगे।

MEDIA CELL MAU